धार्मिक स्वतंत्रता का ताना-बाना

लेखक - सुहृद पार्थसारथी (अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय) एवं गौतम भाटिया (अधिवक्ता, दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 जनवरी, 2020

"धर्म की स्वतंत्रता के दायरे और सीमा की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट को संतुलन के कठिन सवाल का सामना करना पड़ता है।"

दिसंबर 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्या मंदिर में 500 साल पुराने अनुष्ठान 'मदेसनाना' पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रथा में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल होते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा केले के पत्ते पर खा कर छोड़े गए भोजन पर इस विश्वास के साथ लेटना पड़ता था कि ऐसा करने से उनकी त्वचा अशुद्धियों से मुक्त हो जाएँगी।

प्रारंभ में, 2012 में निदुमामिडि मठ के प्रमुख सहित इस प्रथा का समर्थन करने वाले याचिका कर्ताओं के एक समूह के इशारे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अनुष्ठान को रोक तो दिया, लेकिन इसे संशोधित रूप में जारी रखने की भी अनुमति दे दी। भक्त अब स्वेच्छा से प्रसाद युक्त पत्तियों पर लेट सकते हैं। लेकिन इस आदेश को दो साल बाद उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने निरस्त कर दिया था, जहाँ इन्होंने मदेसनाना प्रथा के मूल रूप में बहुत कम त्रुटियाँ पायीं।

अदालत ने कहा, यह प्रथा, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायाधीशों के अनुसार, अंतिम निर्णय देने तक किसी प्रथा पर रोक भक्तों की भावनाओं और संविधान में उल्लेखित धर्म की स्वतंत्रता दोनों को ठेस पहुँचाता है। अंतिम निर्णय देने तक अनुष्ठान का अभियोग दोनों भक्तों की भावनाओं को आहत करेगा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत होने की भावना को प्रभावित करेगा।

दाव पे क्या है?

यह इस तरह के कई और मामले हैं, जिसमें महिला जननांग विकृति का अभ्यास और अग्नि मंदिरों में प्रवेश करने का पारसी महिलाओं का अधिकार शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और गरिमा और समानता के लिए व्यक्तियों के अधिकारों एवं सवालों के बीच के संबंध पर सुनवाई शुरू करने के बाद दाँव पर है। बेंच की स्थापना सबरीमाला फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर किए गए संदर्भ के एक आदेश से हुई थी। लेकिन अब जब खंडपीठ फिर से बैठेगी, तो उसके पुनर्विचार में एक अधिक सारगर्भित अभ्यास शामिल होगा, जिसमें उन्हें विस्तृत प्रश्नों की एक श्रृंखला का उत्तर देना होगा और संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता खंड के दायरे और सीमा की व्याख्या करना होगा।

इन सवालों के जवाब में न्यायालय को संतुलन के कठिन प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। भारत के संविधान में, दो आवेग हैं जो कई बार एक दूसरे के साथ टकराव में आते हैं। पहला आवेग यह स्वीकार करता है कि भारत एक बहुलवादी और विविध ता वाला राष्ट्र है, जहाँ समूह और समुदाय (चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति का हो) ने हमेशा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आवेग के बाद संविधान धर्म की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के रूप में मान्यता देता है, साथ ही यह अनुच्छेद 26 के माध्यम से 'धार्मिक समूह' के रूप में अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है।

अनुच्छेद 26 के अनुसार 'लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित मूल अधिकार होंगे। दूसरी ओर, दूसरा आवेग यह स्वीकार करता है कि जहाँ एक तरफ समुदाय एक समय में एकजुटता का सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है, वही यह उत्पीड़न और बहिष्कार का भी एक क्षेत्र हो सकता है।

इसलिए संविधान स्पष्ट रूप से एक संभावना भी प्रकट करता है कि ऐसा भी हो सकता है जब धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के सदस्यों को अधिनायकवादी और दमनकारी सामाजिक प्रथाओं से बचाने की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार अनुच्छेद 25 और 26 दोनों सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं और अनुच्छेद 25 संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मौलिक अधिकारों और सामाजिक सुधार कानूनों को राज्य के शक्ति के अधीन भी लाता है।

ये दो आवेग और संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उनकी अभिव्यक्ति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रारूपलेखकों में से एक है, द्वारा किए गए अवलोकन से संबंधित है कि हमारे देश में, धर्म और सामाजिक जीवन का एक अटूट संबंध है। जैसा कि मदेसनाना उदाहरण हमें **दर्शाता** है, धार्मिक प्रतिबंध अक्सर व्यापक समाज में फैल जाते हैं, और धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि 'अस्पृश्यता' की प्रथा है, जिसे संविधान स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। दूसरा है "धर्म से बहिष्कृत करने की प्रथा", जो कुछ समुदायों के बीच प्रचलित एक प्रथा, जहाँ समुदाय के प्रमुख को पुनर्गठित सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति होती है और उन्हें अपने पूर्व मित्रों या परिवारों के साथ बातचीत के किसी भी रूप से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है।

बीच का रास्ता खोजना

अब सवाल उठता है कि फिर हम सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों की स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच एक संतुलन कैसे बनाते हैं और यह भी कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों को पूरी तरह से समुदाय के नाम पर बलिदान नहीं किया जाए? इन वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायशास्त्र को आधार बना करके ऐसा करने का प्रयास किया है जो वस्तुतः इसे विभिन्न प्रथाओं पर धार्मिक निर्णय लेने की अनुमति देता है।

आवश्यक प्रथाओं के इस सिद्धांत ने हमेशा अदालत को एक नैतिक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए देखा है। उदाहरण के लिए इसने 2004 में यह कहा कि तांडव नृत्य का प्रदर्शन आनंद मार्गियों के धार्मिक विश्वास का एक अनिवार्य सिद्धांत नहीं था, भले ही धर्म के अनुयायी ईमानदारी से ऐसा मानते हो। इसी प्रकार न्यायालय विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेन्द्र गढ़कर के कार्यकाल के दौरान, धर्मों में कई प्रथाओं को इस आधार पर खत्म किया कि ये प्रथाएँ विश्वास के विपरीत अंधविश्वास के प्रतीक थे। लेकिन क्या न्यायालय के पास ऐसा करने का अधिकार था? कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय की अवधारणा धार्मिक व्यवहार की प्रकृति की जाँच के साथ असंगत प्रतीत होता है। जवाब में अदालत ने अक्सर कहा है कि 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' का परीक्षण करने का एकमात्र तरीका यह है कि ये धार्मिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों को लागू कर एक संतुलन बनाये रखे।

अपवर्जन विरोधी सिद्धांत

सवाल उठता है कि क्या विवादित धार्मिक प्रथा का प्रभाव व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान पहुँचाता है। उदाहरण के लिए, मदेसनाना, मानवीय गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है। कुछ साल पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि हाजी अली दरगाह के आंतरिक पवित्र स्थान में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना समानता का उल्लंघन था। यहाँ जाँच इस बात की नहीं थी कि क्या यह प्रथा वास्तव में धार्मिक है या नहीं, बल्कि यह जानने के लिए था कि क्या इसका प्रभाव अधीनस्थ, बहिष्कृत है या क्या यह ये संकेत दे रहा है कि सदस्यों का कोई एक समूह दूसरों की तुलना में कम सम्मान का हकदार है।

दिलचस्प बात यह है कि सबरीमाला मामले में, जिसमें से यह संदर्भ उत्पन्न हुआ, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की सहमति और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की असहमतिपूर्ण राय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इसकी जाँच होनी चाहिए, और इनकी असहमति इस बात तक सीमित थी कि सबरीमाला मंदिर के विशिष्ट मामले में, इस अभ्यास का बहिष्करण होना चाहिए या नहीं। कई धार्मिक समुदायों में, मानदंडों और प्रथाओं को सामुदायिक नेताओं द्वारा स्थापित किया जाता है और फिर सामाजिक मंजूरी के बल के साथ उसे लागू किया जाता है। अब इन प्रथाओं से असंतुष्ट लोगों के पास कुछ ही विकल्प होता है या तो भेदभावपूर्ण प्रथाओं का अनुपालन करे या उस समुदाय से बहार निकल जाएँ।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. "मदेसनाना" तमिलनाडु के कुक्के सुब्रमण्या मंदिर से संबंधित एक प्रथा है।
2. अनुच्छेद-25 अंत:करण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. "Made snana" is a practice related to the Kukke Subramanya temple in Tamil Nadu.
2. Article-25 provides the equal right to freedom of conscience, to freely practice, conduct and propagate religion..

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Nither 1 Nor 2

नोट : 11 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत में धार्मिक मान्यताएं और संवैधानिक अधिकारों के मध्य हमेशा ही अंतर दिखा है। इस अंतर को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भरने की कोशिश की गई है, किन्तु इस प्रक्रिया में विवाद सामने आए हैं।' कुछ प्रमुख उदाहरणों की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय की इन निर्णयों से जुड़ी दुविधाओं का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

"There is always a difference between religious beliefs and constitutional rights in India. The Supreme Court has tried to resolve this difference but there have been disputes in the process." With the help of some prominent examples, Analyze the dilemmas associated with decisions of the Supreme Court. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।